जन प्रेरित अभियान .
सर्मथ बस्तर के लिए लोक नियोजन

1. जन भागीदारी, सामुदायिक कार्रवाई और शासन

लोगों का सशक्तिकरण हमारे लोकतंत्र का एक लक्ष्य है एवं विकास का एक साधन भी है। यह सच है कि आधुनिक समाज में आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर निर्भर है। यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र के विस्तार, तकनीकी विकास, शहरीकरण, वैश्विक व्यापार और निवेश के प्रवाह आदि के कारण होता है। किन्तु इसके परिणाम स्वरुप राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, पर्यावरण का विनाश, धन और आय की असमानता, काम के लिए पलायन आदि का प्रवेश स्वतः हमारी समाजिक व्यवस्था में हो जाता है जो विकास की प्रक्रिया को अपने मौलिक उद्देश्यो से भटका सकता है। विकास की नींव तब मजबूत होती है जब यह स्थायी कार्रवाई पर आधारित हो और इसका उद्देश्य समान परिणाम हों।

विकास और सामाजिक लामबंदी के प्रयासों को लोगों द्वारा संचालित किए जाने पर लोकतंत्र मजबूत होता है। यह सच है कि आम लोग हमेशा यह नहीं जान सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है या वे क्या हासिल करना चाहते हैं जिसके फलवस्वरूप वे वांछित कार्यवाही शुरू करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जब तक समुदाय स्वयं के लिए सोचने और कार्य करने के लिए लामबंद नहीं होता है तब तक लोकतांत्रिक प्रणालियों और आर्थिक नीतियों में शक्ति और असमान वृद्धि के जोखिम विद्यमान रहेंगे।

भारत में जनता ने प्रतिकूल परिस्थितियों और आवश्यकता के समय निः स्वार्थ सामूहिक कार्यवाही के लिए अपनी क्षमता के प्रति अपना लचीलापन दिखाया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारी, आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के दौरान अन्य विभिन्न जन उत्थान, विभिन्न राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में लोगों का मौन योगदान और समय–समय पर विभिन्न जन आंदोलनों में भागीदारी इसके प्रत्यक्ष उदहारण हैं। स्वतंत्रता के बाद जनता की जन्मजात ताकत और सामाजिक–राजनीतिक आंदोलनों की प्रभावकारिता उनके विश्वास की गवाही है। यह भी आम तौर पर महसूस नहीं किया जाता है कि पिछले कई

दशकों में चुनावी प्रक्रिया में लोगों की उत्साही भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

स्थानीय स्वशासन भारत के लोगों, खासकर गांवों के लोगों के लिए विदेशी अवधारणा नहीं है। पंचायतें न केवल गांवों में, बल्कि विभिन्न अन्य सामाजिक समूहों और व्यवसायों में, समूह विचार–विमर्श के माध्यम से शासन के तंत्र हमेशा से रहे हैं। भले ही इनमें से कुछ संस्थाएं विभिन्न सामाजिक अवधारणाओं से प्रभावित हों जैसे कि पदानुक्रम, वृद्ध–तंत्र, लिंग पूर्वाग्रह आदि । इन पुरानी संस्थाओं के अलावा स्थानीय धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न कृत्यों के लिए हमेशा समुदाय के उदाहरण आते रहे हैं। इनमें से कुछ रीति–रिवाजों को बाद के दिनों के प्रयोगों जैसे श्रमदान, एक कारण के लिए मौद्रिक योगदान आदि में भी परिलक्षित किया गया।

1.1.क्षमतायें और संभावनाएँ

सामुदायिक कार्यवाही और किसी कारण के लिए योगदान, लोगों की जन्मजात क्षमता बड़ी और अप्रयुक्त है। लोक भागीदारी पर आधारित (जिसमे सभी वर्गों और समूहों के लोग एक साथ आते हैं) सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन, साझा किए गए बंधन, सामाजिक मतभेदों और पदानुक्रमित संरचना के बावजूद एक गांव के भीतर दिखाई देते हैं। भ्रातृ बंध तब भी स्पष्ट होते हैं जब कोई परिवार किसी गाँव में विवाह, बीमारी या मृत्यु जैसी विपत्ति के समय में एक साथ खड़े रहते है।

इन सामुदायिक बंधनो को शासन से संबंधित मामलों, नागरिक सुविधाओं के प्रावधान और स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के सभी मामलों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जा सकता है। लोग सरकारी अधिकारियों के साथ अधिक विश्वास के साथ संवाद करने और मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। उनके कल्याण के लिए योजनाओं के डिजाइन में उनकी भागीदारी और कार्यान्वयन में प्रशासन की जवाबदेही के बारे में सतर्कता बरतने से सार्वजनिक सेवाओं का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सकता है।

हालांकि इसमें सामुदायिक कार्रवाई के लिए लोगों के एक साथ आने की क्षमता और एक कारण के लिए योगदान करने की इच्छा के बारे में उल्लेख किया गया है, यह भी मानना होगा कि इन शक्तियों को कुछ प्रतिबंधित कारकों द्वारा भी रोक दिया गया था। जाति, स्थिति, व्यवसाय, भूमि धारण आदि के आधार पर एक गाँव के भीतर पदानुक्रमित संरचना, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर प्रश्न प्राधिकरण की अनिच्छा, लिंग भेद आदि ऐसे प्रभाव हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.2. मौजूदा प्राविधान और व्यवस्था

ऐसा नहीं है कि लोगों के सशक्तिकरण के लिए वर्षों से प्रयास नहीं किए गए हैं। हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों से शुरू होकर कानून का शासन और वयस्क मताधिकार के साथ चुनावी प्रणाली, सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए वैधानिक प्राविधानों के माध्यम से अनुदान और सत्ता के विकेंद्रीकरण जैसे पंचायती राज संस्थानों से संबंधित क़ानून, विभिन्न अधिकार और कमजोर वर्गों के लिए किये गए सुरक्षा उपायों का एक समतामूलक समाज के गठन की दिशा में अच्छा प्रयास है। हालांकि यह पाया गया है कि लोगों को शासन और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिए गए कुछ उपकरण, जैसे कि ग्राम सभा, पंचायत और स्थानीय स्व–सरकारी संस्थानों को अधिकार नहीं दिये गये हैं। यहां लोगों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप कमजोर बुनियाद पर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है।

1.3. क्षमताओं की कम उपलब्धि के कारण

1.3.1. नियंत्रण का पैटर्न

भारत की लोकतांत्रिक विकास प्रक्रिया को विकसित करने के दौरान भागीदारी प्रक्रिया की औपचारिकता जो कि परंपरागत रूप से कुछ हद तक अस्पष्ट रूप में मौजूद थी, ने राजनीतिक प्रणाली के कार्यकारी पहलुओं को चुने हुए प्रतिनिधियों और नौकरशाही को सौंप दिया। हालांकि लोगों ने राजनीतिक घटनाक्रम में गहरी रुचि दिखाई है और चुनावी प्रक्रिया में काफी बड़े पैमाने पर भाग लिया है। लेकिन उन्हें पांच साल में केवल एक बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया गया। बाकी की अवधि के लिए लोगों को शायद ही कभी विधायी प्रक्रिया या विकास की योजना में परामर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है। विभिन्न निहित स्वार्थों द्वारा कुछ हद तक चुनावी प्रक्रिया को भी हाईजैक कर लिया गया। जैसा कि ग्राम–स्वराज के वातावरण में काम करने वाले ग्रामीणों को अनुभवों के वावजूद पंचायती राज संस्थाओं और विकास योजना आदि में भागीदारी के संबंध में अपने अधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

1.3.2. संस्थागत क्षमता

जाति और पदानुक्रम के पुराने सामाजिक संस्थानों ने भागीदार शासन प्रक्रिया से लोगों को बहिष्कृत करने में काफी हद तक योगदान दिया है। हालाँकि यह धारणा शहरी लोगों की

उदासीनता को स्थानीय मामलों में शासन में भागीदारी या यहां तक कि चुनावी प्रक्रिया में स्पष्ट नहीं करती है। जबकि जाति और स्थिति आदि के प्रभाव शहरी क्षेत्रों में सामाजिक रूप से बहुत कमजोर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की भागीदारी बहुत बेहतर है।

कम भागीदारी और सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने में असमर्थता का एक कारण यह हो सकता है कि स्थानीय स्वशासन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित संस्थान नहीं हैं। लोगों को भाग लेने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कोई संस्थागत संरचना नहीं है। यह कार्य शायद सरकारी निकायों के बजाय नागरिक समाज संगठनों द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। प्रयास और विशालता का पैमाना नागरिक समाज संस्थानों के लिए बड़े पैमाने पर इसे संबोधित करना मुश्किल बनाता है। राजनीतिक दल भागीदार लोकतंत्र की बुनियादी बातों में जनता को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त संगठन हो सकते थे लेकिन शायद उन्होंने इसे दोधारी हथियार के रूप में देखा।

1.3.3. वित्तीय प्रावधान की पर्याप्तता

नागरिक समाज संस्थानों जैसे स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा लोगों को शिक्षित करने के इस कार्य को नहीं करने के कारणों में से एक आवश्यक पैमाने और विशालकाय संसाधन हो सकते हैं।

1.3.4. सुझाए गए कदम

यह तर्क दिया जा सकता है कि अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए अपने दिन–प्रतिदिन के संघर्ष से बोझिल आम लोगों से शासन के मुद्दों में सक्रिय रुचि लेने की उम्मीद करना एक आदर्श परिकल्पना है। आजीविका से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और कार्यवाई करने के लिए लोगों का साथ मिल जाना शायद एक समाधान हो सकता है। वे बेहतर आजीविका के लिए समूहों में संगठित होते हैं, तो यह अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक कार्रवाई के लिए शुरुआती बिंदु हो सकता है। एक बार लोग न केवल एक साथ कार्य करने के लाभों को सीखते हैं, बल्कि एक साथ काम करने के कौशल भी सीखते हैं– जैसे मुद्दों पर चर्चा करना, वैकल्पिक समाधानों का विश्लेषण करना, जिम्मेदारियों को साझा करना, बातचीत कौशल सीखना, एक आम सहमति समूह में पहुंचना और मुद्दों को संयुक्त रूप से संबोधित करने की उनकी क्षमता का एहसास आदि। कुछ हद तक स्व सहायता समूह आंदोलन में इस तरह की घटना पहले से ही देखी गई है, जहां महिलाएं शुरू में बचत जुटाने के लिए एक साथ आई थीं लेकिन बाद में कुछ गतिविधियों को उठाया और अपने शासन के दिन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए संयुक्त रूप से चर्चा और कार्य करना शुरू कर दिया।

पूर्वगामी वर्गों में शामिल कार्यवाही के विभिन्न सुझाव, चाहे आजीविका के प्रचार से संबंधित हों या स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में सुधार से संबंधित हों, एक सामान्य विषय है – छोटे समूहों के गठन, समूहों को मजबूत बनाने और जहां भी आवश्यक हो सामुदायिक कार्रवाई के लिए समूहों का एक संघ बनाना।

विभिन्न गतिविधियों के लिए समूहों के गठन का सुझाव दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग–अलग समूह हों। उदाहरण के लिए कृषि उपज के प्रसंस्करण, बिक्री के लिए या जैविक खेती के लिए बना समूह वन उपज पर काम करने के लिए भी समूह हो सकता है। जब तक हित धारक अलग नहीं होते और स्थिति प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग समूहों की मांग नहीं करती तब तक अलग–अलग समूहों के गठन की आवश्यक नहीं है। इसी तरह, जैविक खेती और इको–टूरिज्म के लिए समूह एक ही हो सकता है, क्योंकि पर्यटक भी जैविक उत्पादन के खरीदार हो सकते हैं। यह शहरी क्षेत्रों में जैविक उत्पादन के लिए राजदूत के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से और भी आसान हो जाती है। ये प्रसंस्करण और अन्य गतिविधियों के लिए शुरुआती बिंदुओं के रूप में काम कर सकते हैं।

एक बार जब ग्रामीण समूह में काम करने के लिए एक साथ आने लगते हैं, तो नागरिक मुद्दों और शासन के मामलों पर चर्चा के लिए वातावरण बनाया जा सकता हैं। सदस्यों को सरकारी अधिकारियों के साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करने का विश्वास भी मिलेगा। वे शिक्षकों की नियमित उपस्थिति या स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग शुरू कर सकते हैं।

यह निश्चित रूप से बोले जाने की अपेक्षा किये जाने की तुलना में आसान है। समूहों का मार्गदर्शन और समर्थन, गतिविधियों की निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति वांछित लाइनों पर है आदि कार्य करने के लिए कुछ भुगतान किए गए कर्मचारियों के साथ इच्छुक स्वयंसेवकों के एक संगठन की आवश्यकता होगी। इस सहायक संगठन को विपणन गतिविधियों, प्रबंधकीय कार्यों, सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय और संपर्क बनाने में भी मदद करनी होगी। इसके अलावा अगर प्रसंस्करण और विपणन जैसी गतिविधियों के लिए लोगों को जुटाने के प्रयासों का निहित स्वार्थों के द्वारा विरोध किया जाता है, तो स्वयंसेवकों को सभी संबंधितों के साथ सहमति से निर्णय लेने के लिए चर्चा करनी होगी।

महात्मा गांधी ने ग्राम–स्वराज का सपना देखा था जहां लोग अपने मामलों की जिम्मेदारी लेते हैं। यह उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास हो सकता है।